संख्या-70 /1615/24-1-14-1043(बजट)/2013

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर,2014

विषय:- वर्ष 2013-14 में एफ0आर0पी0 के अन्तर्गत लाईन लॉस की प्रतिपूर्ति हेतु अंशपूँजी में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1000.00 करोड़ को अनुदान में परिवर्तित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-539/म0प्र0वित्त/विप्र-2/253/बजट/2014-15, दिनांक 14.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 2013-14 में ऑपरेशनल लॉस की फन्डिग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रदत्त अंशपूँजी का विनिवेश की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000,00,00,000/- (रू0 एक हजार करोड़ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है। यह धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को नगद आहरण न कर पुस्तक समायाजन द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय- 12-सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 2013-14 में आपरेशनल लॉस की फन्डिग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को प्रदत्त अंशपूँजी का विनिवेश- 20-विनिवेश " के नामे डाला जायेगा तथा यह भुगतान नगद न होकर पुस्तक समायोजन के माध्यम से अनुदान संख्या:- 09 के पूँजी लेखे के भाग-4 के लेखाशीर्ष "4801-बिजली परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनेत्तर-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-99- घटाइये वापसिपर" में जमा दिखाया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-125/दस-2014, दिनांक 08 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-70/1615(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in